

प्रेषक,

अरुणेश कुमार द्विवेदी
उप सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद / लखनऊ,
विकास प्राधिकरण।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 27 जून, 2022

विषय:-

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का निर्धारित अंशदान एवं मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28.06.2022 को आहूत बैठक में प्रतिभाग
किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त सचिव, अवस्थापना विकास अनुभाग, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-241/83-अव०-2022-16(अव०)/2022 दिनांक 27.06.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का निर्धारित अंशदान रू० 05.00 करोड़, लखनऊ विकास प्राधिकरण का निर्धारित अंशदान रू० 10.00 करोड़ तथा गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्धारित अंशदान रू० 05.00 करोड़ के सापेक्ष अंशदान जमा नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में उ०प्र० अवस्थापना विकास कोष प्रबन्धन समिति की बैठक मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन के लोक भवन बी-ब्लाक प्रथम तल स्थित उनके समाकक्ष में दिनांक 28.06.2022 को अपरान्ह 01.00 से 01.30 बजे तक आहूत की गयी है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अंशदान की अद्यतन प्रास्थिति की सूचना प्रत्येक दशा में आज ही शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त आहूत बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित नियत तिथि एवं समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय
27.6.2022
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया आगरा इनर रिंग रोड प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को जोड़ने के लिए फलाई ओवर के निर्माण कार्य हेतु रू० 28.5 करोड़ की धनराशि औद्योगिक विकास विभाग के अधीन अवस्थापना विकास कोष से प्राप्त होने की अद्यतन स्थिति की सूचना आज ही शासन को उपलब्ध कराते हुए उक्त आहूत बैठक में सुसंगत सूचनाओं सहित नियत तिथि एवं समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(अरुणेश कुमार द्विवेदी)
उप सचिव।